न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी–श्री चावण्डदान चारण आरएएस

प्रकरण संख्या डिकी 396 सन 2016

पंजीयन दिनांक 6.10.2016

1.कन्ना पिता प्यारा भील निवासी–सिंहपुर ।

2.जगदीश पिता कालू भील अवयस्क संरक्षक शंकरी बेवा कालू भील ।

3.शंकरी बेवा कालू भील नि.सिहंपुर तहसील–कपासन ।

4.छग्गु पत्नी प्यारा भील(नाम तर्क)

5.सोहनी पत्नी गजानंद मीणा नि.मिठारामकीकाखेडा चित्तौडगढ ।

6.शांन्तिलाल पिता मांगू भील नि.रघुनाथपुरा ।

7.गजानंद पिता मांगू मीणा नि.मिठारामजीकाखेडा चित्तौडगढ ।

–अपीलांटगण

विरूद्व

1.नाथू पिता गोकल भील नि.सिहपुर ।

2.नारू उर्फ शैतान पिता रतन भील नाबा.सरक्षक माता काली बेवा रतनलाल भील नि.सिहपुर ।

3.कालीबाई पत्नी रतनलाल भील नि.सिंहपुर ।

4.राज्य जरिये तहसीदार चित्तौडगढ ।

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्वनिर्णय उपखण्डअधिकारी चित्तौडगढ
दिनांक 20.6.2016 प्रकरण संख्या 42/2015

उपस्थित–श्री छोगालाल जाट–वकील अपीलांट
श्री दिनेश दायमा–वकील रेस्पोडेन्ट

–0–

निर्णय दिनांक 9.2.2021

प्रकरण के तथ्य सक्षैपमे इस प्रकार हैकि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ने एक वादपत्र अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी चित्तोडगढ के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–88–89–53–188–209 के अन्तर्गत ग्रम नारेला पटवार मंडल नारेला की साबिक आराजी नम्बर 500/3, 499/2, 501/3 कुल किता–3 कुल रकबा 9 बीघा जिसके नवीन आराजी नम्बर 1297, 1299, 1300, 1312, 1313, 1314 कुल किता–6 रकबा 2.02 हैक्टेयर के सबंध में पेश किया जो अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 20.6.2016 को वादी रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 का वादपत्र बाबत ग्रम नारेला की आराजी नम्बर 1297, 1299, 1300, 1312, 1313, 1314, कुल किता–6 रकबा 2.02हैक्टेयर में खातेदारी घोषणा,इन्द्राज दुरस्ती एवं स्थायी–निषेधाज्ञा का दस्तावेजी साक्ष्यो से प्रमाणित होना मानते हुए स्वीकार किया जाकर उक्त अंकित आराजियात में वादी/रेस्पोडेण्ट सख्या 1 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया । तथा जमाबन्दी में अंकित प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का नाम विलोपित किया जाकर शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 से 9 के संयुक्त खातेदारी में रखे जाने के आदेश पारित किए। तदनानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किए जाने का आदेश पारित किया । इस आदेश से रूष्ठ होकर

प्रतिवादीगण/अपीलांटगण ने उक्त अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील में अपीलांट ने यह आपत्ति की कि प्रकरण लोक अदालत कैंप नारेला में नियत किया जिसकी अपीलांट को किसी प्रकार से सूचना नहीं दी गई और न ही अपीलांटगण लोक अदालत मे उपस्थित हुए और न ही लिखित में किसी प्रकार का कोई राजीनामा प्रस्तुत किया है। फिर भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने लोक अदालत के तहत बिना राजीनामें के गुणावगुण पर निर्णय पारित कर रेस्पोंडेण्ट वादी का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए डिक्री कर दिया है। जबकि उक्त पत्रावली जवाबदावा एवं तामील प्रतिवादी 7 व 9 हेतु नियत थी। फिर भी विचारण न्यायालय ने बिना साक्ष्य सबूत के रेस्पोंडेण्ट वादी का वादपत्र डिक्री किया है जो अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है।

अपील सुनवाई हेतु दिनांक 18.02.2021 नियत थी इसी दरम्यान पक्षकारान की ओर से दिनांक 29.01.2021 को दोनो पक्षो के हस्ताक्षर युक्त राजीनामा इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया व जल्दी सुनवाई का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया जिस पर पत्रावली तलब की जाकर पक्षकरान की ओर से प्रस्तुत राजीनामा तस्दीक किया गया व राजीनामे अनुसार निर्णय हेतु नियत की गई ।राजीनामें के समर्थनमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने हस्ताक्षरयुक्त व तस्दीक शुदा शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जिसमें राजीनामें अनुसार निर्णय पारित करने का अनुरोध किया ।

इस न्यायालय में उभयपक्षों द्वारा दिनांक 29.1.2021 को राजीनामा प्रस्तुत किया जो तस्दीक किया गया। हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया गया न्यायहित में राजीनामा के आधार पर अपील स्वीकार करना हम उचित समझते हैं ।

अतः अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.6.2016 निरस्त की जाती है। इस न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर मौजा नारेला की आराजी नम्बर 1312 रकबा 0.24 हैक्टेयर में से पश्चिम दिशा में 0.02 हैक्टेयर जिसमें कुआं बना हुआ है एवं आराजी नम्बर 1313 रकबा 0.28 हैक्टेयर में से दक्षिण दिशा में 0.26 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1314 रकबा 0.29 हैक्टेयर में सें 0.14 हैक्टेयर कुलिया 0.42 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेन्ट/वादी के खातेदारी में दर्ज किये जाने एवं शेष आराजियात जो पूर्व में प्रतिवादीगण के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी वह प्रतिवादीगण के राजीनामें अनुसार यथावत कायम रखी जाने की डिक्री पारित की जाती है ।इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराये जाने का आदेश दिया जाता है।तदनानुसार डिक्री पर्चा जारीहो ।

निर्णय आज दिनांक 9.2.2021 को खूले न्यायालय मे सुनायागया ।

(चावण्डदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री जावन्डदान चारण आर.ए.एस.

अपील सं. 396/2016 /डिक्री

① श्री कन्ना पिता प्यारा भील निवासी सिंहपुर ।
② जगदीश पिता कालू भील अवयस्क संरक्षक शंकरी बेवा कालू भील ।
③ शंकरी बेवा कालू भील नि. सिंहपुर तहसील कपासन ।
④ डग्गु पत्नी प्यारा भील (नामतर्क)
⑤ सोहनी पत्नी गजानंद मीणा नि. भिलाराम जी का खेड़ा चित्तौड़गढ़ ।
⑥ शांतिलाल पिता मांगू भील नि. रघुनाथपुरा ।
⑦ गजानन्द पिता मांगू मीणा नि. भीलारामजी का खेड़ा चित्तौड़गढ़

-अपीलान्ट

बनाम

① श्री नापु पिता ओंकार भील नि. सिंहपुर ।
② नारू उर्फ श्रीराम पिता रतन भील ना.बा. संरक्षक माता काली बेवा रतनलाल भील निवासी सिंहपुर ।
③ कालीबाई पत्नी रतनलाल भील नि. सिंहपुर ।
④ राज्य जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़

-रेस्पोडेन्ट

विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ दि. 20-6-2016

प्रकरण सं. 42/15 अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188, 209 रा.का.अ. 1955

निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक 09-02-2021 को अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री हेमलाल जाट ~~एडवोकेट~~ रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री दिनेश दाधमा - वकील रेस्पोडेन्ट की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि -

अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.6.2016 निरस्त की जाती है। इस न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर मौजा नोरला की आराजी नम्बर 1312 रकबा 0.24 हेक्टेयर में से पश्चिम दिशा में 0.02 हेक्टेयर जिसमें कुआं बना हुआ है एवं आराजी नम्बर 1313 रकबा 0.28 हेक्टेयर में से दक्षिण दिशा में 0.26 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1314 रकबा 0.29 हेक्टेयर में से 0.14 हेक्टेयर कुलिया 0.42 हेक्टेयर भूमि रेस्पोडेन्ट/वादी के खातेदारी में दर्ज किये जाने एवं शेष आराजियात जो पूर्व में प्रतिवादीगण के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी वह प्रतिवादीगण के राजीनामे अनुसार यथावत कायम रखी जाने की डिक्री पारित की जाती है। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कराया जावे ।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि ✗ रुपये हैं, ✗ द्वारा दिये जाने है । मूल वाद के खर्चे ✗ द्वारा दिये जाने हैं ।

यह आज दिनांक 09-02-2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है ।

(श्री जावन्डदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक : 09-02-2021

अपील खर्चे :

अपीलान्ट	रूपये	रेस्पोडेन्ट	रूपये
1. अपील के ज्ञापन के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. आदेशिकाओं की तामील		3. आदेशिकाओं की तामील	
4. .... रू. पर प्लीडर की फीस		4. .... रू. पर प्लीडर की फीस	
योग		योग	